भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 314

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान आत्महत्याओं के संबंध में अध्ययन

314. श्री राहुल गांधीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दीर्घकालिक कृषिगत संकट ने देश भर में किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि में योगदान दिया है और यदि हाँ, तो वर्ष 2020 से देश में किसानों की आत्महत्याओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती किसान आत्महत्याओं के कारणों और कृषिगत संकट की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन या आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2020 से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को प्रदान की गई किसी भी वित्तीय राहत, मुआवजे या पुनर्वास पैकेज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत दावों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने का है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में आत्महत्या के कारण नहीं बताए जाते हैं।

कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि या मुआवज़ा प्रदान करती हैं। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए योजनाओं हेतु उचित नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। इन योजनाओं का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, किसानों को लाभकारी रिटर्नस और आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन को बढ़ाकर 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है जो वर्ष 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये था। कृषि क्षेत्र में किसानों की

समग्र आय और लाभकारी रिटर्नस बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

(घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना हेतु फसल उपज/फसल हानि का आकलन आदि सभी कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की

संयुक्त समिति द्वारा किए जाते हैं। योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं। अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है।

पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने और पारदर्शिता लाने तथा दावों का समय पर निपटान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

• राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को डेटा के एकल स्रोत के रूप में विकसित किया गया है जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करता है, जिसमें किसानों का सीधा ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करना और किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे का अंतरण सुनिश्चित करना शामिल है।

• खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए एक समर्पित मॉड्यूल 'डिजिक्लेम मॉड्यूल' चालू किया गया है। इसमें खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग करने के लिए एनसीआईपी को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वचालित रूप से गणना करके एनसीआईपी के माध्यम से लगाया जाता है।

• प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग करने की योजना लागू की गई है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।

(ड.): सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की राय पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की है।

*****